जी
श्री गोरधन
- द्वारा
ग्राम के
मदोदयजी
अदम त

है, पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश में~~ होने/अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त होने/~~बार एसोसिएशन की प्रार्थना से~~ पत्रावली वास्ते .... दिनांक 5/2/20 को पेश हो।

5.2.2020 = पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित, प्रकरण में विपक्षी अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के पेश किया गया जिसकी प्रति वादी अधिवक्ता को उपलब्ध करायी गयी, तथा दोनों अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी,

प्रकरण की बहस में प्रतिवादी अधिवक्ता का मुख्य कथन रहा कि वाद पत्र में वर्णित राजस्व ग्राम लाडपुरा की आ. संख्या 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 940 कुल किता 11 में निहित वादी के सम्पूर्ण हक हिस्से को श्री विष्णु प्रकाश कोगटा आत्मज शंकरलाल कोगटा निवासी आजाद मोहल्ला भोपालगंज भीलवाड़ा एवं श्री कन्हैयालाल आत्मज श्री हरिओम शर्मा निवासी मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर को विक्रय कर दिया है तथा विक्रय पत्र का पंजीयन भी हो चुका है वाद पत्र में वादी द्वारा अपने आपको जिस कृषि भूमि का खातेदार और मालिक होना बताया है. आज दिनांक को वादी उस भूमि का मालिक व खातेदार नहीं रहा है अपने अधिकारों को हस्तान्तरण कर दिया गया है अब कोई वाद कारण भी शेष नहीं रहा सो प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर वादी का वाद पत्र इसी प्रक्रम पर ड्रोप / खारीज / निस्तारित किया जाने का आदेश पारित फरमावें।

- लगातार -

(signature)

तारीख हुक्म	प्रकरण संख्या 14/2017 (2017/00027) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज लक्ष्मण सिंह V/S अर्जुनसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इसी के साथ वादी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण मे बहस के दौरान निवेदन किया कि वादी द्वारा कोई भूमि नही बेची है. प्रार्थना पत्र विपक्षी खारिज करावें। मने प्रकरण मे वर्णित रेकार्ड. विक्रय पत्र दिनांक दिनांक 9.4.2019 का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया तो पाया कि वाद पत्र मे वर्णित आ.न 448, 449, 450, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 473, 476, 477, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916 व 940 कुल किता 37 रकबा 9.84 है भूमि दर्ज है। जिसमेसे वादी द्वारा आराजी न 907 से 916 व 940 किता 11 रकबा 6.45 है भूमि मे वादी अपना हक विक्रय विक्रय जरीये रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 9.4.2019 को किया जा चुका है इन आराजीयात मे वादी का कोई हक हिस्सा नही रहता है। ऐसी स्थिति मे वादी का वाद आराजी सरवे 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 940 कुल किता 11 रकबा 6.45 है की सीमा तक आंशिक रूप से खारिज योग्य होकर विपक्षी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। अतः प्रकरण मे प्रतिवादी अधिवक्ता की ओर से ग्राम लडकी की आ.न 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 940 किता 11 रकबा 6.45 है तक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर किया जाकर वादी का वाद खारीज किया जाता है इसी अनुसार डिक्री जारी हो। D.T.O	

तारीख हुक्म	प्रकरण संख्या 14/2017 (2017/00027) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादी चाहे तो विक्रय की गयी राशि के अतिरिक्त अन्य आराजीयात से सम्बन्धित नये सिरे से अलग से कार्यवाही करने में स्वतंत्र है। पत्रावली इसी स्तर से निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। 4-2-2020 (सुन्दरलाल बम्बोड़) R A S सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), रायपुर (भीलवाड़ा).	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.02.06 16:33:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: